

सीएसआर गतिविधियों का चयन

सीएसआर एवं संधारणीयता नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एनएचपीसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) के अंतर्गत उल्लिखित राशि को अलग से रखेगा जिसे वर्तमान में एनएचपीसी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर एवं संधारणीयता कार्यों हेतु वार्षिक बजट के अनुसार 03 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के औसत कुल लाभ का कम से कम 02 प्रतिशत है।

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, कंपनी अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देती है जहां वह सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए कार्य करती है। एनएचपीसी की सीएसआर नीति के अनुसार, कम से कम 80% सीएसआर गतिविधियों को एनएचपीसी की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों में और उसके आसपास 25 किमी के भीतर और उस जिले जहां परियोजना स्थित है, में निष्पादित किया जाना है। तथापि, एनएचपीसी सीएसआर नीति के खंड संख्या 4.4 के अनुसार राष्ट्रीय योजनाओं से संबंधित सरकार के निर्देशानुसार और जरूरतों के आधार पर अन्य स्थानों को चुना जा सकता है। परियोजना/यूनिट परिधि के बाहर के प्रस्तावों को भी 20% बजट आवंटन के भीतर संकलित, संवीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाओं का अभिनिर्धारण :

हमारे परियोजना क्षेत्र के निकट में रहने वाले हितबद्धों और हमारे प्रचालनों तथा क्रियाकलापों को सीधे प्रभावित करने वालों को सीएसआर तथा संधारणीयता क्रियाकलापों के लाभग्राहियों के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएसआर तथा संधारणीयता योजनाओं के क्रियान्वयन के विकल्प को अधिमानतः एनएचपीसी यूनिटों के प्रचालन वाले जिले/उप-मंडल/ब्लाकों में प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श/मिल-जुल कर चुना जाएगा। वीआईपी (सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदि), केंद्र / राज्य सरकार के प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नीति आयोग आदि से पंजीकृत/ बिना पंजीकृत कई गैर सरकारी संगठनों की सिफारिश के साथ बाहरी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

चयन प्रक्रिया:

डीपीआर, संधारणीयता योजना, जिला प्रशासन से अपेक्षित मंजूरी आदि वाले स्थान की आवश्यकता के अनुसार एनएचपीसी सभी कार्यस्थलों से सीएसआर प्रस्ताव मांगे जाते हैं। आरंभ में प्राप्त प्रस्तावों को आंतरिक सीएसआर समिति के माध्यम से संकलित और जांच की जाती है और तत्पश्चात समिति के सदस्यों के रूप में महाप्रबंधक (सीएसआर), महाप्रबंधक (ओ एंड एम) और महाप्रबंधक (वित्त) की वरिष्ठ स्तरीय अंतर अनुशासनात्मक महाप्रबंधक स्तर की समिति द्वारा संकलित और जांच की जाती है और इसके बाद कार्यक्रमों/परियोजनाओं और इसकी निधि के संबंध में उनकी सिफारिश के लिए सीएसआर एवं संधारणीयता निदेशकों की समिति को प्रस्तुत किया जाता है। निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाता है। नए सीएसआर कार्यक्रम/परियोजना निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत प्रदान की जाती है।

सीएसआर प्रस्तावों की जांच निम्नलिखित कारकों के आधार पर की जाती है:

- क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII के तहत कवर किया गया है।
- क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- क्या निधियों के गैर-अतिव्यापी(ओवरलैपिंग) होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- क्या परियोजना की दीर्घकालिक संधारणीयता को तर्कसंगत आदि ठहराया गया है।
- उच्च सीएसआर प्रभाव आदि।

डीपीई के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण जैसे विषयगत कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए।

डीपीई के निर्देशों के अनुसार, 03 आकांक्षी जिले अर्थात् बारामूला (जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश), चंबा (हिमाचल प्रदेश) और पश्चिम सिक्किम (सिक्किम) एनएचपीसी को आवंटित किए गए हैं और आकांक्षी जिले में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के विषयगत क्षेत्रों में केंद्रित हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता दी गई है।

कार्यान्वयन भागीदार का चयन:

- हमारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजना के अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के चयन में सम्यक् तत्परता सुनिश्चित की जाती है।
- यदि जिला प्रशासन एक कार्यान्वयन भागीदार के रूप में भी शामिल है, तो जिला प्रशासन द्वारा सम्यक् तत्परता पर सरकारी मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाती है और परियोजना या तो हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से या प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- बाहरी एजेंसियों का नियोजन अथवा उनके साथ भागीदारी करते समय, योजित सीएसआर तथा संधारणीयता कार्यों हेतु आवश्यक क्षमताओं तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता के अतिरिक्त, ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा का प्रमाणीकरण कार्य प्रदाता प्राधिकारी द्वारा करवाया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर संबंधी क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के माध्यम से शुरू किए जाएं। ऐसे बाहरी संगठन के पास इस प्रकार के किए गए कार्यक्रमों या परियोजनाओं से संबंधित कम से कम 03 वर्ष का पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड होना चाहिए।

बाहरी एजेंसियां:

- (कंपनी) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 क और 80 छ के अधीन अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, अथवा

- केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी ; अथवा
- संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी ; अथवा
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क और 80 छ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो ।